भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / i-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फाइल नंबर: 7-एनटी (18)/2014

दिनांक: 16.1.15

वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 1/2015

विषय: वापोप चिकित्सा परीक्षा नियमावली, 2000 के नियम 4 के अनुसार समुद्रकर्मियों के चिकित्सा परीक्षकों के अनुमोदनार्थ परिशोधित प्रक्रिया – संबंधी.

1. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा में नाविकों की योग्यता और चिकत्सा परीक्षा के बारे में बताया गया है. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 98 (2) में यह है कि कोई भी व्यक्ति न तो किसी नाविक को किसी समुद्री काम में लगाएगा न ही उसे समुद्र में पोत पर किसी भी क्षमता में लेकर जाएगा, न ही वह उसे किसी भी श्रेणी के पोत में तब तक लेकर नहीं जाएगा जब तक कि समुद्रकर्मी के पास यह प्रमाणपत्र न हो कि वह उस क्षमता विशेष में नियोजित किए जाने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम है (यानी शारीरिक रूप से सक्षम होने का प्रमाणपत्र).

2. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 98 (3) के प्रावधानों के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (चिकित्सा परीक्षा) नियमावली, 2000 दिनांक 19 जनवरी 2000 को अधिसूचित की गई. नियम 4 में चिकित्सा परीक्षकों के अनुमोदन की बात कही गई है.

3. चिकित्सा प्रमाणपत्र के मामले को समुद्रीय श्रम कन्वेन्शन (एमएलसी) 2006 के विनियम 1.2, मानक ए1.2 और मार्गदर्शी सिद्धांत बी1.2 में सुलझाया गया है. मनीला में 2010 के संशोधनों द्वारा यथा संशोधित समुद्रकर्मियों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शन (एसटीसीडबल्यू कन्वेन्शन) में एसटीसीडबल्यू कन्वेन्शन के विनियम 1/9 और एसटीसीडबल्यू संहिता की धारा ए-1/9 और धारा बी-1/9 में चिकित्सा मानकों के मामलों का समाधान किया गया है.

--2

4. समुद्रकर्मियों के चिकित्सा परीक्षकों के अनुमोदनार्थ समय-समय पर विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाया गया है. वापोप सूचना संख्या 17/2002, वापोप सूचना संख्या 23/2010, और वापोप सूचना संख्या 13/2013 सहित उक्त विषय पर वापोप, सूचनाएं भी जारी की गई हैं. इनके अलावा, वापोप (चिकित्सा परीक्षा) नियमावली, 2000 की व्याख्या के मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों के संबंध में दिनांक 28.1.2003 के पत्र संख्या 7-एनटी (5)/2001 सहित अन्य पहलुओं के संबंध में समय-समय पर पत्र जारी किए गए थे.

5. इस बात को समझते हुए कि तमाम भारतीय समुद्रकर्मी लाभदायक स्थिति में विदेशी ध्वज पोतों पर नियोजित हैं और संभावना यह है कि इनकी संख्या बढ़ेगी इसके आगे निदेशालय द्वारा की गई पहल की विभिन्न सरलीकरण प्रक्रियाओं के आलोक में तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एमएलसी 2006 के पहले से ही आ चुकने के कारण यह आवश्यकता महसूस की गई है कि अग्रसक्रिय और सकारात्मक रीति से मैडिकल प्रैक्टिशनरों की अनुमोदित सूची में चिकित्सकों की संख्या को बढ़ा दिया जाए.

6. चिकित्सा परीक्षकों की संख्या को बढ़ाने के लिए और अनुमोदित चिकित्सा परीक्षकों द्वारा समुद्रकर्मियों की चिकित्सा परीक्षा किए जाने में एकरूपता लाने हेतु तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि सभी अनुमोदित चिकत्सा परीक्षक वाणिज्य पोत परिवहन के अपने संबंधित कार्यक्षेत्र से अवगत हों तथा वे समुद्रकर्मियों की रहने और कार्य करने की स्थितियों को जानते हों, तो यह निर्णय किया गया कि समुद्रकर्मियों के चिकित्सा परीक्षकों के लिए एक परिचयीकरण कार्यक्रम आरंभ किया जाए. चिकित्सा परीक्षकों के लिए यह परिचयीकरण कार्यक्रम एक दिन का पाठ्यक्रम होगा और इसमें उन सभी मैडिकल प्रैक्टिशनरों को उपस्थिति रहना होगा जो कि समुद्रकर्मियों के चिकित्सा परीक्षकों के तौर पर अनुमोदन चाहते हों. विद्यमान चिकित्सा परीक्षकों को आधे दिन का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी करना होगा.

7. इस निदेशालय से समुद्रकर्मियों के चिकित्सा परीक्षक के अनुमोदनार्थ विशिष्ट पत्रों को जारी किए जाने की रीति अब से बंद की जाती है. इसकी बजाय, नौवहन महानिदेशालय ने अब वापोप सूचना के अनुलग्नक-1 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से वाणिज्य पोत परिवहन (चिकित्सा परीक्षा) नियमावली 2000 के नियम 4 के अर्थ में ऐसे पत्तनों या स्थानों पर चिकित्सा परीक्षकों का अनुमोदन और नियुक्ति हेतु परिशोधित प्रक्रिया जारी की है.

8. समय-समय पर जारी किए गए, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम/नियमावली/वापोप सूचना/निदेशालय के आदेश आदि की अवहेलना करने पर चिकित्सा परीक्षकों पर वापोप सूचना संख्या 9/2011 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

9. सभी विद्यमान चिकित्सा परीक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे इस सूचना के जारी होने की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधिके भीतर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा कर लें.

10. अनुमोदित चिकित्सा परीक्षकों की संख्या बढ़ जाने को दृष्टिगत रखते हुए, सभी नौवहन कंपनियों से अपेक्षा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके पैनल में बड़ी संख्या में अनुमोदित चिकित्सा परीक्षक हों.

11. अनुमोदित चिकित्सा परीक्षक के निर्णय से व्यथित समुद्रकर्मी उस अनुमोदित चिकित्सा परीक्षक के निर्णय के विरुद्ध निदेशक, नाविक रोज़गार कार्यालय के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी को वापोप (चिकित्सा परीक्षा) नियमावली, 2000 के नियम 14 के अंतर्गत व्यवस्था के अनुसार अपील कर सकते हैं.

12. चिकित्सा परीक्षक के अनुमोदन के उक्त विषय पर दिनांक 5 अगस्त, 2002 की वापोप सूचना संख्या 17/2002 – फाइल नंबर 33(1)/सीआर/2001, वापोप सूचना संख्या 23/2010 दिनांक 4 नवंबर 2010 – फाइल नंबर 70-एनटी (1)/2008-भाग और वापोप सूचना संख्या 13/2013 दिनांक 11 जून 2013 – फाइल नंबर 7-एनटी (8)/2010-9 पत्र संख्या 7-एनटी (5)/2001 दिनांक 28 जनवरी 2003 और वाणिज्य पोत परिवहन (चिकित्सा परीक्षा) नियमावली 2000 और गत परिपत्रों, मार्गदर्शी सिद्धांतों और समुद्रक्रर्मियों के चिकित्सा परीक्षकों के अनुमोदन के उक्त विषय पर, के अनुसार चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने के संबंध में इनकी व्याख्या, स्पष्टीकरण इस वापोप सूचना द्वारा एतद्द्वारा अधिक्रमित किए जाते हैं.

13. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

(कप्तान केपी जयकुमार)
उप नॉटिकल सलाहकार, भारत सरकार
संलग्नः अनुलग्नक -1